

2025/562

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगाढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - निम्बार्हड़ा.....)



धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 1995

दापर दिनांक 16/12/2025..... निर्णय दिनांक 16/12/2025.....

रिपोर्ट

क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।		वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>बालारडा</u>	<u>107</u>	हस्ताक्षर पटवारी <u>अ.स. शर्मा</u>	हस्ताक्षर गिरदाकर, शा.सं. <u>स.स. शर्मा</u>	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन	तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज. भू.रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>बालारडा</u> प.ह. <u>बाबादास</u> खातासं. <u>107</u> में वर्तमान प्रविष्ट बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।

प्रतिनिधि पालनाथ - बालारडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें। कपासन जिला-चितौडगाढ (उपखण्ड अधिकारी)

तहसीलदार कपासन